संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 15/ 2020

1 जगतारसिंह वल्द जोगेन्द्रसिंह उर्फ भोलासिंह कोम जट सिख साकिन चक 26 पीटीपी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

वादी

बनाम

1 प्रकाश सिंह वल्द जोगेन्द्रसिंह उर्फ भोलासिंह कोम जट सिख साकिन चक 26 पीटीपी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

2 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) सादुलशह ।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88–92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री चिमनलाल दुआ वकील वादी मिन जामिन मुद्दई श्री त्रिलोकचन्द चायल अधिवक्ता वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादी आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– चक 26 पीटीपी जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 24/21 मे प्रतिवादी के नाम दर्ज 1.758 हैक्टे. एवं चक 26 पीटीपी मे खाता संख्या 28/24 मे प्रतिवादी के नाम से दर्ज 0.506 है. आराजी दोनो खातों की कुल 2.264 है. नहरी मय गैर मुमकिन आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है एवं उक्त खातो से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है । उक्तानुसार ही वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे । बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 2.9.2020 को जारी किया गया।

2.9.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.09.30 16:09:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner